न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 34/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01जीयाराम पुत्र स्व9 गोविन्दराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम झंवर तहसील झवंर जोधपुर		01.चैनाराम पुत्र स्व0 गोविन्दराम 02.इन्द्रा पुत्री स्व0 गोविन्दराम 03.कौशल्य पुत्री स्व0 गोविन्दराम 04.गोगीदेवी पुत्री स्व0गोविन्दराम 05.दोलाराम पुत्र स्व0 गोविन्दराम 06.लीला पुत्री स्व0 गोविन्दराम 07.हीराराम पुत्र स्व0 गोविन्दराम जाति मेगवाल निवासीगण ग्राम झवंर तहसील झंवर जोधपुर 08.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता बाकाराम चौधरी उपस्थित ।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापत उपस्थित।

निर्णय दिनांक 15/10/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा स्व0 गोविन्दराम पुत्र नैनाराम जाति मेगवाल के नाम से पैतृक सहखातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर किस्म बी 1 वाके मोजा ग्राम झवंर तहसील झवर मे आई हुई है उक्त पैतृक सहखातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के सहखातेदारी मे दर्ज हुई जो वर्तमान जमाबन्दी से भली भॉति साबित है तथा उक्त भूमि गोविन्दराम के फौत होने पर गोविदराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्र पुत्रिया एव पत्नी झमकु देवी के नाम से प्रत्येक का 1/10 हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद की गई तत्पश्चात प्रार्थी एव अप्रार्थीगण का माता झमकू देवी का स्वर्गवास दिनांक 21.05.2021 को हो गया जिसके फौत होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण अभी होना बाकी है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त सहखातेदारी की भूमि बैचान करने पर उतारू है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बार बार दखलदांजी करते रहते है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह वाद जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया प्रार्थी के नाम कब्जा काश्तसुदा सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर मे से 1/10 हिस्से पर प्रार्थी एव अप्रार्थीगण प्रत्येक का हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है तथा भूमि को आगे बेचान करने पर आमादा है एव अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल करने पर उतारू है इसलिए अप्रार्थीगण एक अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि मे करना सम्भव नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9989 हैक्टर मे मूल वाद तक के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 7 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जबकि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव मे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया गया कि ग्राम झवर के खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर जो प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के सहखातेदारी की कृषि भूमि है अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्त भूमि मे अप्रार्थीगण सख्यां 01 से 07 को मूल वाद तक पावन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक दखल अन्दाजी ना स्वंय करे तथा ना ही अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया गया कि ग्राम झवर के खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर जो प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की सयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि है वर्तमान रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण के हक हिस्से मे प्रत्येक के 1/10 हिस्सेनुसार कृषि भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की जमीन पर कृषि कार्य करने बैचान करने या अन्य उपयोग का पूर्ण अधिकार है प्रार्थी एव अप्रार्थीगण सभी सयुक्त खातेदार है और प्रत्येक का 1/10 हिस्सा नीयत है और सभी अपने हिस्से अनुसार मोके पर काबिज है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को केवल परेशान की नीयत से स्थगन प्राप्त किया गया जो कानूनन रूप से किसी दूसरे के हक हिस्से पर स्थगन आदेश प्राप्त नही कर सकता है जिसमे प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति नही है तथा न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है प्रार्थी ने सारे तथ्य गलत व झूठे उल्लेखित किए है इस कारण प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि ग्राम झवर के खसरा नम्बर 281 रकबा 3.9983 हैक्टर मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थी स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी